19.4.23. पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दीगर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली इल्तवा होकर आइंदा 21.6.23 को पेश हो।

Vikas 19/04

21.6.23 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप०। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सं. 3 से 9 का इन्तजार एवं प्रतिवाद-पत्र जवाब एवं बहस आदेश 19.7.23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

22.06.23 वादी एवं उनके वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई। वादी स्वंय द्वारा उपस्थित होकर अपना वाद जरिये राजीनामा के विड्रो करने का निवेदन किया।

वादी एवं उनके वकील की बहस है कि उक्त वाद में पक्षकारान के मध्य गांव के मौजिज व्यक्तियों एवं आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है। अतः लोकहित की भावना से प्रेरित होकर हम अपनी ओर से प्रस्तुत उक्त वाद को विड्रो करना चाहते है। ऐसी

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

108/2021

स्थिति में प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वाद जरिये राजीनामा के विड्रो किया जाये। वादी के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में प्रतिवादी वकील द्वारा अपनी अनापत्ति व्यक्त की गई है।

हमने वादी वकील के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, चूंकि पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश एवं लोकभावना से प्रेरित होकर राजीनामा किया जाकर उक्त वाद को जरिये विड्रो खारिज करवाना चाहते है, ऐसी स्थिति में लोकभावना को दृष्टिगत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना अदालत उचित समझती है।

अतः वादी एवं उनके वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त वाद इसी स्तर पर जरिये राजीनामा विड्रो के खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर